जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

सतर्कता जांच अभियान में 23 अवैद्य ट्रांसफार्मर पकड़े

राजकार्य में बाधा डालने पर 32 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जयपुर 30 अगस्त। धौलपुर जिले के बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा व सेंपउ उपखण्ड के विभिन्न गावों में अवैध ट्रांसफार्मर पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान के तहत दो दिन में 13 सिंगल फेज व एक थ्री फेज के अवैध ट्रान्सफार्मर जब्त किये गये। इसके अतिरिक्त जयपुर जिला वृत के पावटा उपखण्ड में सिंगल फेज के 8 व एक थ्री फेज के अवैध ट्रान्सफार्मर जब्त किये गये।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक के निर्देश पर 29 व 30 अगस्त को रामअवतार शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (पवस) धौलपुर, आर.के. चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता), जयपुर एवं सुखवीर सिंह सोलंकी, पुलिस उपअधीक्षक (सतर्कता) जयपुर डिस्कॉम, अलवर के नेतृत्व में संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें भरतपुर संभाग के सभी सतर्कता दल भाामिल थे। इन दलों ने ग्राम बोरेली, झील, बरई, पुराउलावटी, रजौरा कला, मानसिंह नगला, राजाखेड़ा उपखण्ड के कुसेड़ा गुर्जर, विधुडी के पुरा, बिरजा पुरा, नाथो का पुरा, खेरली इत्यादि गांवों में चैंकिग की गई। चैंकिग में 13 सिंगल फेज व एक थ्री फेज ट्रान्सफार्मर (कटे हुए विद्युत कनेक्शन से) सरपंच बिरजापुरा श्री कालीचरण से जब्त किये गये।

सतर्कता दलों द्वारा जयपुर जिला वृत के पावटा उपखण्ड में सिंगल फेज के 8 व एक थ्री फेज के अवैध ट्रान्सफार्मर जब्त किये गये व 40 स्थानों पर बिजली चोरी के प्रकरण पकड़े गए। इन प्रकरणों में वीसीआर भर दी गई है तथा 9 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

धौलपुर जिले में बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा व सेंपउ उपखण्ड में अवैध तरीके से विद्युत उपयोग कर रहे 18 व्यक्तियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 व 150 के तहत कार्यवाही करते हुए विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। कुछ आसामाजिक तत्वों द्वारा राजकार्य में बाधा डालने पर पुलिस थाना बसेडी एवं सेंपउ में लगभग 32 व्यक्तियों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

पूर्व में भी 22.08.16 को बसेड़ी उपखण्ड में 6 अवैध ट्रान्सफार्मर जब्त कर सभी आरोपियों के विरूद्ध इसी प्रकार कार्यवाही की गई। एटीवीएस के पदस्थापन के पश्चात एवं बिजली की चोरी को रोकने तथा अवैध ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरणों को जब्त करने के लिए लगातार जांच अभियान चलाने एवं इसमें लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने हेतु सघन अभियान आगे भी चालू रहेगा।

————————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 432/2016